बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./42/एसएलबीसी/जून 2016/ 328 30.08.2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2016 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त मार्च 2016 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 10.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(राजीव श्रीवास्तव)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई-मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2016 तिमाही की दिनांक 10.06.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2016 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 10.06.2016 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री अखिलेश कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, लघु उद्योग एवं प्रोत्साहन, उ.प्र. शासन; श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक एवं श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल तय लक्ष्य -532- के सापेक्ष -673- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है जो महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. की प्रेरणा व प्रयासो से सम्भव हो सका है। साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार -5000- व अधिक आबादी वाले कुल चयनित -571- गाँवों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की ब्रिक एवं मोर्टार शाखाएँ मार्च 2017 तक खोलने का रोडमैप भी क्रियांवयन हेतु तैयार कर लिया गया है। निश्चय ही यह शाखा विस्तार कार्यक्रम प्रदेश के सामाजिक- आर्थिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होगा।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से माह मार्च 2016 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विशेष कैम्प्स का आयोजन किया गया था। इन कैम्प्स की सफलता तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशो के क्रम में पुनः, प्रदेश के सभी जनपदों में माह जून 2016 के दौरान इन कैम्प्स का आयोजन प्रारम्भ किया गया है जिसमें स्थानीय माननीय सांसद महोदय व अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति का दायित्व निर्वाहन, सम्बन्धित जनपद के अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा किया जा रहा है। निश्चय ही PMMY की सफलता हेतु बैंको द्वारा किये जा रहे यह प्रयास चालू वित्तीय वर्ष हेतु तैयार वार्षिक लक्ष्य रू. 10313.70 करोड़ की शत प्रतिशत उपलब्धि में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

- इसी कड़ी में दिनांक 05.04.2016 को Stand Up India Programme की विधिवत शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर (नोयडा) से की गयी। इस योजना के सफल क्रियांवयन के उद्देश्य से सिडबी; नाबार्ड तथा एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। अन्य योजनाओं की भाँति इस योजना के सफल क्रियांवयन हेतु मैं सभी बैंकर्स का आह्वान व सहयोग का अनुरोध करता हूँ।

- माह मार्च 2016 एवं अप्रैल 2016 के दौरान प्रदेश के सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं वित्तीय साक्षरता केन्द्र प्रभारियों हेतु एस.एल.बी.सी. द्वारा लखनऊ में एक एक दिन की दो कार्यशाला आयोजित की गयीं जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्देशित वित्तीय साक्षरता के लिए किए जा रहे प्रयासों, बैंक मित्रों का सैंसिटाइजेशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व अन्य योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर सघन जानकारी उपलब्ध कराई गयी जिसको विभिन्न स्तरों पर काफी सराहना मिली।

- वितीय वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के लक्ष्य सम्बधित नोडल एजेंसीज से हमें प्राप्त हुए है जिन्हें बैंको/ अग्रणी जनपदो को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। सभी बैंकर्स से अपील है कि इनके आधार पर वे अपने प्रदेश स्तरीय लक्ष्यों को तैयार कर अपनी सम्बन्धित शाखाओं को प्रेषित कर दें क्योंकि आवश्यकतानुसार संस्थागत वित महानिदेशालय; भारतीय रिजर्व बैंक; नाबार्ड; एस.एल.बी.सी. एवं सम्बन्धित नोडल विभाग को लक्ष्यों से अवगत कराना पडता है। इसी क्रम मे संस्थागत वित महानिदेशालय द्वारा तैयार की गयी "प्रोत्साहन नीति" की विवरणी प्रेषित करने पर जोर दिया।

- आवासीय क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न बैंक शाखाओं को तुरंत प्रभाव से बन्द करने का आदेश/ नोटिस लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने की दशा में अग्रिम कानूनी कार्यवाही किये जाने से भी अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में बैंको द्वारा आवासीय क्षेत्रों में रह रहे समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को बैंको द्वारा प्रदान की जा रही सेवा पर विराम लगने की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) द्वारा इस स्थिति से शासन को अवगत कराते हुए हस्तक्षेप किये जाने का अनुरोध किया गया। सदन में उपस्थित महानिदेशक, संस्थागत वित एवं बीमा महानिदेशालय ने इस स्थिति पर शासन की तरफ से आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वासन दिया।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सदन को अवगत कराया कि पिछले वर्ष की वार्षिक ऋण योजनांतर्गत उपलब्धि लगभग 90.34% रही। इसी क्रम में एस.एल.बी.सी. द्वारा आँकड़ो की महत्ता को बताते हुए उन्होंने सूचनाओं तथा विवरणियों का सही व ससमय प्रेषण सुनिश्चित करने हेतु सभी बैंकर्स का आह्वान किया। साथ ही सभी बैंकर्स व उपस्थित सम्बद्ध को अपने एक dedicated officer का चयन करने व एस.एल.बी.सी. को अवगत कराने की आवश्यकता बतायी जिससे सम्बन्धित अधिकारी से ही आंकड़ो की प्राप्ति समय से हो सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों व सफलता हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है जिसमें बढोत्तरी के लिए समग्र प्रयास करना आवश्यक है।

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) को अनेक पैरामीटर्स पर गत वर्ष सर्वश्रेष्ठ एस.एल.बी.सी. घोषित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी सम्बन्धित को बधाई दी व आने वाले वर्षों में भी यही स्थिति बनाये रखने हेतु शुभकामनाएँ दीं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले खातों में उन खातों को सक्रिय करने पर बल दिया जो अभी तक कार्यशील नहीं हो पायें हैं तथा जिनका प्रतिशत लगभग 25% है। इन खातों के सापेक्ष जारी रूपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करना और उनका ससमय वितरण करने हेतु कार्य योजना बनाने पर उन्होंने बल दिया। इस सन्दर्भ में निम्न तीन बिन्दुओं को उन्होनें महत्वपूर्ण बताया –

    - सभी निष्क्रिय खातों को सक्रिय किया जाये और उनमें जारी रूपे डेबिट कार्ड को सक्रिय करते हुए उनका वितरण व नियमित संचालन किया जाये।
    - समस्त खुले खातों में आधार नम्बर की सीडिंग की जाये।
    - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाये।

- इसी के साथ भविष्य में आर्थिक विकास हेतु वातावरण भी अनुकूल होने की सम्भावना है। बेहतर मानसून से कृषि उत्पादन में बढोत्तरी की सम्भावना बढ़ जायेगी। जिसका असर अभी से परिलक्षित होने लगा है। अत: इस वर्ष अग्रिमों में बढोत्तरी सम्भावित है। भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषी उत्पादों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है। भविष्य में मोबाइल बैंकिंग व ए.टी.एम. जैसे माध्यमों से प्रदेश में जमा- भुगतान की प्रक्रिया और सरल हो सकेगी।

अपने संक्षिप्त अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए प्रमुख मुद्दों के साथ साथ बैंकिंग में नयी तकनीक की महत्ता एवं उपयोगिता का उल्लेख किया एवं राज्य सरकार के सहयोग का अनुरोध किया।

श्री प्रवीर कुमार, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश के विकास में बैंकर्स की अहम भूमिका रही है और एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) को देश में सर्वोच्च स्थान पाने पर बधाई दी एवं इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स एवं बैंकर्स के सहयोग हेतु आभार प्रकट किया।

- अपने उदबोधन में श्री प्रवीर कुमार ने प्रदेश में घटते ऋण जमा अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सम्बद्ध का आह्वान किया और इसे बढ़ाने हेतु प्राथमिकता पर कार्य योजना बना कर कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने पिछले वर्ष ए.सी.पी. की 90% उपलब्धि के सापेक्ष इस वर्ष CD Ratio में कमी का मुख्य कारण जमा में वृद्धि एवं अग्रिम में कमी को बताया। ऋण जमा अनुपात के राष्ट्रीय औसत 73% के सापेक्ष अपने प्रदेश का औसत 54% ही है जो अपेक्षाकृत कम है।
- प्रदेश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यहाँ सेवा क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में अत्याधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति एवं योजनाबद्ध रूप में कार्य करने की योजना बनानी होगी। बैंकर्स को अग्रिम प्रदान करने हेतु बड़े- बड़े "एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट" व उच्च गुणवत्ता वाले अन्य उद्यम व उद्यान क्रियाकलापों (हार्टिकल्चर) आदि पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। कुछ ऐसे कृषक जो खेती करने मे सक्षम नहीं हैं वे अपनी कृषि योग्य भूमि बटाई पर या किराये पर देकर आर्थिक उत्थान की विभिन्न योजनाओं में भाग लें सकते हैं। उन्होंने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन व सब्जी उत्पादन क्षेत्रों में प्रथम बताया।
- इसी क्रम में एग्री जंक्शन, कामधेनु, मिनी कामधेनु, कुक्कुट पालन आदि योजनाओं पर विशेष बल देकर, इस क्षेत्र में वितीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी बैंकर्स का आह्वान भी किया। उच्च श्रेणी के कृषि उत्पाद, बेहतर मानसून व अन्य अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में भरपूर वृद्धि की सम्भावना परिलक्षित हो रही है।

अपने सम्बोधन के अंत में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पुनः सभी बैंकर्स से सहयोग की अपेक्षा की और किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए सरल प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता बताई। कृषि क्षेत्र में परम्परागत खेती से अलग हट कर कुछ नया करने का आह्वान किया।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त किये। इसी सम्बध में उन्होंने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में कुल -3000- बैंक शाखा खोलने के लक्ष्य के सापेक्ष -4000- शाखाएँ खोली गयी। इसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के बजट भाषण मे भी किया गया। इस प्रयास हेतु उन्होंने एस.एल.बी.सी. को बधाई दी।

- उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा Recycling of Funds के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के -50- बड़े बकायदारों (प्रत्येक जनपद) का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि बैंको द्वारा प्रेषित इस सूची के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस कार्य में वे बैंकर्स को पूरा सहयोग प्रदान करें।
- इसी क्रम मे बैंको में होने वाली डकैती व लूटपाट की घटनाओं तथा बैंक की योजनाओं के क्रियांवयन में आने वाली कठिनाइयों हेतु बैंकिंग व बीमा हेल्पलाइन न. 1520 का उन्होंने उल्लेख किया जिसे- "मुख्यमंत्री बैंकिंग व बीमा हेल्पलाइन" के नाम से प्रारम्भ किया गया है। इस नम्बर पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (UP ZONE) LKO.

सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी "प्रोत्साहन नीति" का उल्लेख करते हुए महानिदेशक महोदय ने सभी बैंको से इसके विभिन्न मानकों पर विशेष रूप से कार्य करने का आह्वान किया।

- श्री यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी एक नयी योजना "समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना" का उल्लेख किया और इस योजना की विशेषताओं से अवगत कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष में इसके क्रियांवयन तथा कुल वार्षिक लक्ष्य 1940 (संख्या) की पूर्ति हेतु बैंकर्स के सहयोग की अपेक्षा की।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने सदन में उपस्थित सभी बैंकर्स का आह्वान किया कि वे प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं पर दृढता व लगन से कार्य करें ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी क्षमता के अनुरूप लाभ प्रदान किया जा सके।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- प्रदेश में कृषि क्षेत्र में विकास हेतु समस्त बैंकर्स का योगदान आवश्यक है। इस क्षेत्र में समस्त वाणिज्यिक बैंको ने अभी तक संतोषजनक कार्य किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र है।
- वाणिज्यिक बैंको में कार्यरत कृषि स्नातकों से कृषि क्षेत्र में अधिकतम वित्त पोषण हेतु कार्य करने की प्राथमिकता बनायी जाये। क्योंकि यह एक लाभप्रद व्यवसाय है। उन्होंने बैंको द्वारा कृषि अग्रिम के निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष 90% उपलब्धि हेतु बैंकर्स को बधाई दी।
- सरकार के एजेण्डे में बैंको की एन.पी.ए. की स्थिति प्रमुख रूप से शामिल है। बैंको के समग्र प्रयासों से इस स्थिति में सुधार परिलक्षित होने लगे है जिनको निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है।
- सभी जनपदों में डी.सी.सी. व डी.एल.आर.सी. की बैठकों का आयोजन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जाना चाहिए।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंको द्वारा विशेष शाखाओं पर कार्य किया जाये जिसकी समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषाधिकार प्राप्त समिति द्वारा नियमित रूप में की जा रही है।

पहली बार अनेक बड़े बैंको की बैलेंस शीट में हानि की स्थिति दर्शायी गयी है जो चिंता का विषय है। परन्तु सभी बैंक इस स्थिति में सुधार हेतु प्रयत्नशील है। बैंको में अपेक्षानुसार ऋण स्वीकृति न हो सकने के अनेक कारण है। इस कारण प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में वांछित वृद्धि सम्भव नहीं हो पा रही है। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्राय: यह देखा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है जिसके अनेक कारण है। इस स्थिति से निकलने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित योजनाओं पर कार्य करना होगा जिसमें पूर्वी उ.प्र. में ऋण जमा अनुपात में आवश्यक वृद्धि अवश्य होगी।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि वे सूचनाओं का अपडेशन अपने अपने वेब साइट पर करें जिससे विभिन्न एजेंसीज सहित एस.एल.बी.सी. को आँकडे, सम्बन्धित पोर्टल से प्राप्त हो सके और इस कार्य में लगने वाले समय को घटाया जा सके।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 26.02.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 26.02.2016 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 20.05.2016 को प्रेषित किया गया था, की सदस्यों द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 26.02.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. **प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :**

सदन को अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक के समन्वय में दिनांक 19.05.2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में इस विषयक विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर जिले में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पुन: नये सिरे से राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में देवरिया जनपद में आर- सेटी की स्थापना हेतु जनपद के अग्रणी बैंक – सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से अनुरोध किया गया। महाप्रबन्धक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने अवगत कराया कि आर- सेटी की स्थापना हेतु जिलाधिकारी- देवरिया को पत्र लिखा गया है जिसकी प्रति एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों हेतु स्टैम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान :

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित महानिदेशालय, उ.प्र. से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर राजस्व विभाग को कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण का अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है। अंतरिम अवधि में मात्र रू.100/- के स्टैम्प पेपर पर एकल दस्तावेज के साथ ऋण प्रदान करने हेतु बैंक शाखाओं को निर्देशित किया जाये। इससे होने वाली राजस्व क्षति का वहन प्रदेश सरकार करेगी। इस बिन्दु पर चर्चा की गयी। नाबार्ड प्रतिनिधि ने प्रदेश के कुल 3.00 लाख स्वयं सहायता समूहों में से कुल 1.00 लाख समूहों को क्रेडिट लिंकेज सुविधा प्राप्त होने के बारे में सदन को अवगत कराया जिसका ₹ 100.00 प्रति समूह की दर से लगभग ₹ 1.00 करोड़ की प्राप्ति होती है। जिसके बारे में शासन से स्पष्टीकरण प्राप्त होना है।

इसी क्रम में इस बात पर भी चर्चा की गयी कि इण्डियन बैंक एसोसिएशन द्वारा समस्त कृषि ऋणों पर एक समान स्टैम्प ड्यूटी लेने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्देशों को निर्गत किये जाने पर विचार किया जाये।

3. एल.बी.एस. - एम.आई.एस. I, II, III एवं अन्य विवरणियों के माध्यम से सुसंगत ऑकड़ो का ससमय प्रेषण:

उल्लेखनीय हैं कि अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत – भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी किये है जो ऑकड़ो के निर्धारित प्रारूप पर ही प्रेषित करने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में इस विषय पर चर्चा हुई कि एस.एल.बी.सी. को प्रेषित ऑकड़े निर्धारित प्रारूप पर ससमय प्राप्त न हो सकने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को समेकित ऑकड़ो का प्रेषण समय से नहीं हो पाता जिस पर क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने चिंता व्यक्त की।

सदन में उपस्थित समस्त बैंको द्वारा सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि एस.एल.बी.सी. को आँकड़ो का प्रेषण करने हेतु एक **Dedicated Nodal Officer** बैंको द्वारा नामित किया जायेगा जो इन सब कार्यों के लिए उत्तरदायी हो। उसका नाम एवं अन्य विवरण एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यसूची संख्या – 3
वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन –धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। इसी क्रम में सदन को यह भी बताया गया कि "प्रधानमंत्री जन- धन योजना" के क्रियांवयन में प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में, दस में से छ: मानदण्डों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में योजनांतर्गत खुले समस्त पात्र खातों में रूपे कार्ड जारी करने की दिशा में बैंको द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है परन्तु अनेक मामलों में इन जारी कार्डस को उनके धारको तक नही पहुँचाया जा सका है। अत: रूपे कार्डस के प्रेषण के बारे में बैंकर्स को सुनियोजित ढंग से कार्य करना आवश्यक है। इसके साथ ही कार्ड धारक को रूपे कार्ड के एक्टिवेशन के बारे में जागरूक भी करना होगा जिससे -90- दिन के अन्दर वे अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सके तभी इसका लाभ खाता धारक को मिल सकता है।

सदन में विषयक चर्चा के दौरान सभी सम्बद्ध को बताया गया कि इन काड्र्स के वितरण, पिन वितरण, एक्टिवेशन एवं रख रखाव से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर जागरूकता एवं आवश्यक निगरानी एवं सतर्कता का ध्यान रखा जायें जिसके हेतु भारत सरकार द्वारा कैम्प्स आयोजित किये जाने के निर्देश विद्यमान है और बैंको द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (**Business Correspondents**) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। सदन को बताया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त निष्क्रिय बैंक मित्रों को एक्टिव किया जाये तथा जो बैंक मित्र कार्य नहीं कर रहे हैं उनके स्थान पर नये बी.सी. की नियुक्ति की जाये जिससे प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर भी बैंकिंग सुविधाये प्रदान की जा सके। आधार सीडिंग पर भी चर्चा की गयी तथा समस्त बी.सी. को "आधार योग्य भुगतान प्रणाली" (**AEPS**) उपकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे दिए गये है। गत मार्च 2016 से आधार कार्डस की सीडिंग हेतु एक्ट भी लागू कर दिया गया हैं जिसके आधार पर बैंक शाखाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार सम्भव है।

ख) सुरक्षा योजनाओं के क्लेम्स का निस्तारण-

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा सभी लम्बित क्लेम्स का त्वरित निस्तारण बैंको द्वारा किये जाने पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि "अटल पेंशन योजना" में हमारे प्रदेश का पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान रहा है और भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बैंको द्वारा इस हेतु किये गये प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की गयी।

बैंको द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों को अपनी अपनी पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया, जिनकी मियाद 31 मई को समाप्त हो रही है।

इसी सन्दर्भ में मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री ए. के. पण्डा ने उपस्थित बैंकर्स से अपील की कि अटल पेंशन योजना की सफलता हेतु विशेष मार्केटिंग टीम बना कर कार्य करें। प्रसंगवश, इस योजना के अंतर्गत को-ऑपरेटिव बैंक की उपलब्धि -शून्य- रही है जो चिंता का विषय है इसके लिए प्रयास करना होगा।

ग) -2000- से अधिक व -2000- से कम आबादी वाले गाँवों का बैंकिंग सुविधा हेतु आच्छादन-

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के क्रम में -2000- एवं उससे अधिक की आबादी वाले समस्त गाँव जहाँ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नही थी उन गाँवों के प्रदत्त लक्ष्य -16270- के सापेक्ष कुल -16388- गाँवो को बैंकिंग सुविधा से आच्छादित कर दिया गया।

इसी क्रम में -2000- से कम जनसंख्या वाले -76,855- गाँवों में भी बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु समस्त बैंको द्वारा रोडमैप तैयार किया गया था एवं लगभग शत प्रतिशत पूर्ति भी अर्जित कर ली गयी है।

घ) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -

सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत "भारतीय बैंक संघ" ने स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता से अवगत कराना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कम से कम -1- स्कूल को गोद लेना है ताकि उस स्कूल के विद्यार्थियों को वित्तीय कार्यक्रमों से प्रशिक्षित किया जाये। इस कार्यक्रम की समेकित रिपोर्ट भी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार कुल -9195- स्कूलों को बैंक शाखाओं द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा -4738- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2.63 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

च) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. द्वारा कौशल विकास केन्द्रों को -75- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (जो अग्रणी जिलों में कार्यरत है) के साथ मैप कर कार्य योजना तैयार की गयी है। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये है। इसी क्रम में समस्त -75- जनपदों के वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के प्रबन्धकों की एक कार्यशाला एस.एल.बी.सी. द्वारा दिनांक 13.04.2016 को आयोजित की गयी जिसमें वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर वृहत चर्चा की गयी।

छ) जन- धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में बैंको द्वारा कुल -100- विद्यालयों को अंगीकृत कर वित्तीय साक्षरता से उन स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक करना है। अभी तक समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में कुल -7814- स्कूलो को अंगीकृत किया गया है।

ज) वित्तीय समावेशन के अन्य मुद्दे:

वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों की गहन समीक्षा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। मीटिंग्स, विडियो कांफ्रेंस आदि के माध्यम से होने वाली समीक्षा बैठकों में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी जिनमें प्रमुख निम्न बिन्दु उभर कर सामने आये है:

- सभी खाता धारको को रूपे कार्डस व पिन की उपलब्धता प्रदान करना और उन्हें सक्रिय करना,
- समस्त बीमा उत्पाद एवं पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा किया जाना

❖ आधार सीडिंग के परिपेक्ष्य में बैंको द्वारा त्वरित कार्यवाही करना एवं शत प्रतिशत सीडिंग हासिल किया जाना

इसी क्रम में मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षित है कि माह जुलाई 2016 से समस्त डी.बी.टी. लाभ केवल उन्हीं बैंक खातों में मिलेगा जिनमें आधार सीडिंग हो चुकी हो। उत्तर प्रदेश में आधार सीडिंग का प्रतिशत अभी भी 34%- 35% तक ही है जिसे बढ़ाने के लिए अथक प्रयासों की आवश्यकता है।

श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आधार सीडिंग की महत्ता बतायी और बैंको को इस हेतु कैम्प लगा कर आधार का नामांकन कराने पर जोर दिया। उन्होंने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा जारी व्यापक निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश की सभी लगभग 60 हजार ग्राम पंचायतों में आधार सीडिंग के कैम्पस दिनांक 20.05.2016 से 30.06.2016 तक किये जाने के निर्देश जारी किये है जो एस.एल.बी.सी. के पत्रांक पू.उ.प्र.अं./42/एस.एल.बी.सी./एफ.आई./201 दिनांक 20.05.2016 द्वारा सभी सम्बन्धित को सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रेषित किये गये है। तदनुसार इस महत्वपूर्ण कार्य में बैंको को कार्य किया जाना उचित होगा ताकि निर्धारित समय सारिणी के अन्दर अच्छे परिणाम हासिल किये जा सके।

श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक एवं संयोजक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आधार सीडिंग हेतु बैंक शाखाओं में बैनर्स आदि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता बताई। इन बैनर्स में एक विशेष तारीख व स्थान का उल्लेख होना चाहिए जिस दिन आधार सीडिंग हेतु कैम्प का आयोजन किया जाये। सभी बैंक अपनी अपनी वेबसाइट पर भी आधार सीडिंग हेतु नोटिफिकेशन जारी करने की व्यवस्था करें।

कार्यसूची संख्या – 4
(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है जो कार्यशील पूँजी और टर्म लोन के रूप में होती है। यह योजना समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। सदन में फोटो युक्त बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करने एवं इसकी विशेषताओं पर चर्चा की गयी। इस कार्ड पर स्वीकृत धनराशि अंकित रहती है और व्यक्तिगत बुनकर को अधिकतम रू 2.00 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित खाते CGTMSE के अंतर्गत आच्छादित होते है। सदन में इस योजना की धीमी प्रगति पर भी चर्चा हुई जो समीक्षा अवधि तक मात्र 30% है जिसे बढाने हेतु प्रयास करने के लिए आग्रह किया गया। वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सदन में उपस्थित सभी सदस्य बैंको से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 5
(वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के अंतर्गत मार्च' 2016 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 90.34% रहा है। विभिन्न सेक्टरवार प्रगति- कृषि -89.77%; लघु उद्यम- 119.44% एवं सेवा क्षेत्र- 63.76% की उपलब्धि हासिल की गयी है।

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि में समग्र रूप से ऋण वितरण का प्रतिशत विगत वर्ष के सापेक्ष 12.78% अधिक हुआ है।

कृषि क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भी वितरण का प्रतिशत समग्र रूप से विगत अवधि के प्रतिशत से बढ़ा हुआ है। इसी क्रम में एक बार पुनः समस्त अग्रणी जिलों से सम्बन्धित LBS MIS I, II & III का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी.

को सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धित से अनुरोध किया गया ताकि समेकित आंकड़ो का ससमय प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित महानिदेशालय व अन्य एर्जेसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पी.एल.पी. तैयार किया गया है जिसका आकार लगभग रू. 177917.03 करोड़ है। उसके आधार पर जनपदवार "वार्षिक ऋण योजना – 2016-17" तैयार की गयी है। सभी -75- जनपदों की समेकित वार्षिक ऋण योजना के आधार पर संकलित प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना 2016-17 तैयार की गयी है, जिसका विमोचन आज यहाँ किया जा रहा है। इस योजना का आकार लगभग रू. 168382.26 करोड़ है। यह समेकित वार्षिक ऋण योजना नाबार्ड के पी.एल.पी. के सापेक्ष 94.64% है एवं गत वर्ष की वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष 23.48% की वृद्धि दर्शाता है।

<u>कार्यसूची संख्या – 6</u>

<u>(ऋण जमा अनुपात)</u>

सदन में प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा हुई और इसे बढ़ाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विचार किया गया। क्योंकि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मार्च 2015 के सापेक्ष मार्च 2016 में ऋण जमा अनुपात में 1.21% का ह्रास परिलक्षित हुआ है।

प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र में वित पोषण एवं बड़े उद्यमों को वित्त पोषण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई गयी। इसे एक चैलेंज के रूप में लेकर कार्य करने हेतु सबका आह्वान किया गया।

इसी क्रम में सदन में प्रदेश सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना- "समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना" की चर्चा की गयी जिसके लक्ष्य शासन से प्राप्त हुए है। इस नवीन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बैंको द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में उचित वृद्धि करने में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की संयोजकता में एक उपसमिति गठित की गयी है जो इस योजना की समीक्षा करती है और जिसकी समीक्षा बैठक निरंतर होती रहती है।

<u>कार्यसूची संख्या – 7</u>

<u>(पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)</u>

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों, जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में नाबार्ड से अनुरोध किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु चयनित जनपदों में सब प्लान लागू किये जाने हेतु सभी स्टेक् होल्डर्स कार्यवाही करें।

<u>कार्यसूची संख्या – 8</u>

<u>(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/आर.के.बी.वाई.)</u>

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही तक प्रदेश में कुल -5633413- किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें कुल -3738607- किसानों के किसान कार्डस का नवीनीकरण किया गया है तथा कुल -1894806- नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये है। सदन में

इस बात पर भी चर्चा की गयी कि प्रदेश के उन सभी किसानों को इस योजना से आच्छादित किया जाये जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नही लिया है ताकि पूरे प्रदेश को संतृप्त घोषित किया जा सके। साथ ही साथ समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करना भी अनिवार्य है। इस कार्य को प्राथमिकता पर करने हेतु समस्त बैंको को निर्देश जारी किये जा चुके है।

निदेशक, कृषि साख्यिकी श्री वी. के. सिंह ने नयी "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ समस्त के.सी.सी. धारकों को पहुँचाये। इसी क्रम में सदन को यह भी बताया गया कि खरीफ 2016-17 के लिए निर्धारित फसलों की जनपदवार सूची कृषि निदेशालय, उ.प्र. द्वारा समस्त सम्बद्ध को एस.एल.बी.सी. के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है। निदेशक, कृषि सांख्यिकी ने सदन को यह भी अवगत कराया कि प्रदेश के कुल -75- जिलों के सापेक्ष -69- जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केवल -6- जिलों में इस कार्य की प्रक्रिया अभी पूरी नही हो पायी है। -69- जिलों में इस योजना का कार्य "एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया" की देख रेख में हो रहा है जबकि बचे -6- जिलों में इस कार्य का सम्पादन "आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड" कर रही है। जो सम्बद्ध जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों के माध्यम से बैंकवार संचालित की जा रही है। समस्त सम्बद्ध को निर्देशित किया गया कि फसल बीमा का यह कार्य 31.07.2016 तक अवश्य समाप्त कर लिया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत जनपदवार/ एजेंसीवार लक्ष्यों की सूची जो प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी है, उसे भी सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया गया है।

सदन में इस बात की भी चर्चा की गयी कि बीमित किसानों को, उनके खाते से प्रीमियम धनराशि की कटौती का विवरण एस.एम.एस. के माध्यम से उनके खाते में दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किया जाना चाहिये जिसमें बीमित फसल व प्रीमियम धनराशि का विवरण उल्लिखित हो। इसी प्रकार बीमा कम्पनियों द्वारा क्लेम निस्तारण की एस.एम.एस. सूचना बीमित किसान को प्रेषित किये जाने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

कार्यसूची संख्या – 9
(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। इस सेक्टर के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रगति की निरंतर समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक की बैठकों में की जा रही है। इस क्रम में भारत सरकार की "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा समस्त बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समीक्षा अवधि के दौरान सदन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति से अवगत कराया गया। समीक्षा अवधि के दौरान रू. 9431.69 करोड़ वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कुल रू.7637.24 करोड़ (80.97%) धनराशि का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु समस्त बैंको को निर्देश निर्गत है कि वे अपने जनपद के अग्रणी जिला प्रबन्धकों के माध्यम से समस्त शाखाओं में विशेष कैम्पस लगाने की व्यवस्था करें और इन कैम्पस में स्थानीय माननीय सांसद महोदय/ स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति हेतु विशेष प्रयास किये जाये।

सदन को अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु मार्च 2016 तक उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है।

बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर रू. 1.00 करोड़ तक के अग्रिम पर कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) नही लेनी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA

आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत रू. 2.00 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को समूह बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है।

इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को एक एस.सी./एस.टी. व एक महिला उद्यमी को वित्त पोषित करने का वार्षिक लक्ष्य तय किया गया है। अवगत कराया गया कि इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से एस.एल.बी.सी., नाबार्ड व नोडल एजेंसी सिडबी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन व सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी standupmitra.in पर उपलब्ध है एवं जनपद स्तर पर अग्रणी जिला प्रबन्धक को योजना क्रियांवयन व अनुश्रवण हेतु विशेष जिम्मेदारी दी गयी है।

कार्यसूची संख्या – 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सुधार हुआ है। इस दौरान सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में ऋण वसूली की स्थिति में सुधार लाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों पर भी चर्चा की गयी।

इसी क्रम में बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग की सदन द्वारा सराहना की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया।

इसी सन्दर्भ में -50- बड़े बकायेदारों से वसूली की स्थिति पर भी चर्चा की गयी। इन बड़े बकायेदारों की सूची महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय को उपलब्ध करा दी गयी है तथा उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया है।

कार्यसूची संख्या – 12

(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 24.06% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक से कहीं अधिक है।

कार्यसूची संख्या – 13

(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस योजनांतर्गत समूह सृजन, बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज के कार्य में बैंको का भरपूर योगदान प्राप्त हो रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ०प्र० आंचलिक कार्यालय ZONAL OFFICE (UPZONE) LKO

सदन को यह भी बताया गया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित करने हेतु भारत सरकार की एक विशेष योजना देश के -41- चिन्हित पिछड़े जिलों में चलायी जा रही है। अपने प्रदेश के -8- चिन्हित पिछड़े जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से यह योजना चलायी जा रही है जिसकी समीक्षा नाबार्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

श्री ए. के. सिंह, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु स्वयं सहायता समूह- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण किया जा चुका है जिससे सभी सम्बन्धित को शीघ्र अवगत कराया जायेगा।

<u>कार्यसूची संख्या – 14</u>
<u>(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)</u>

<u>"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम."</u>

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में नोडल विभाग द्वारा प्रगति से अवगत कराया गया। नोडल विभाग ने यह भी अवगत कराया कि उनके विभाग से योजनांतर्गत लक्ष्य विभिन्न बैंको को प्रेषित किये गये है। जिनकी पूर्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

इसी क्रम में नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि ग्रामीण बैंको के आँकड़े Govt. portal पर अपलोड करने के बावजूद प्रदर्शित नही हो रहे है।
नाबार्ड के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में कई ऐसे बैंक है जिनकी शाखाओं में लिंकेज हेतु आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए है और इस कार्य में समस्याएँ आ रही है। उन बैंको से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को इस लिंकेज कार्य हेतु Sensitize करें जिससे योजनांतर्गत प्रगति परिलक्षित हो सके।

<u>"आर- सेटी की स्थापना"</u>

प्रदेश के -75- जिलों में बैंको द्वारा आर- सेटी के स्थापना की गयी है जिसमें -5- आर सेटी संस्थान विभिन्न बैंको द्वारा उनके नॉन लीड जनपद में खोले गये है। इस योजना की एक उप समिति पंजाब नेशनल बैंक की संयोजकता में गठित है जिसकी नियमित बैठक की जा रही है और जिसमें योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि BPL Trainees के प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु फंड जारी किया जाये। इस परिपेक्ष्य में प्रदेश सरकार से सभी मुद्दों के समाधान हेतु आश्वासन दिया गया।

<u>"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – एन.यू.एल.एम."</u>

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के बैंकवार लक्ष्य समस्त बैंको को प्रेषित कर दिये गये है और इस योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। सदन में सभी सम्बद्ध से आग्रह किया गया कि योजनांतर्गत प्रगति से एस.एल.बी.सी. को समय से अवगत करा दे जिससे शासन की मंशा के अनुरूप योजना की संकलित प्रगति रिपोर्ट समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जा सके। नोडल एजेंसी द्वारा भी जनपदवार/ बैंकवार लम्बित आवेदन पत्रों की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी – 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। योजना के परिचालन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से कतिपय संशोधन किये गये है जिसके दिशा-निर्देश एवं एजेंसीवार लक्ष्य एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त सम्बद्ध को अनुमोदन के पश्चात प्रेषित किये गये है। बैंको से अनुरोध किया गया कि वे अपनी समस्त शाखाओं को तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि ने योजना के संशोधित स्वरूप के बारे में सदन में चर्चा की एवं बैंको से अनुरोध किया कि वे योजना सम्बन्धी समस्त लम्बित क्लेमस नोडल विभाग को सम्पूर्ण विवरण के साथ शीघ्र प्रेषित कर दें जिससे दावा राशि सम्बन्धित बैंको को प्रेषित किया जा सके, जिसका समायोजन लाभार्थी के खाते में हो सके।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। इसी क्रम में स्कैवेंजर्स के पुनर्वास हेतु अधिनियम 2013 की चर्चा करते हुए सदन को यह बताया गया कि उ.प्र. में अभी भी कुछ स्कैवेंजर्स कार्यरत है जिनके पुनर्वास हेतु योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है। एजेंसी के प्रतिनिधि से इन आंकड़ो को एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जिससे बैंको के माध्यम से उनको वित्त पोषित करने हेतु कार्यवाही की जा सके।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से बैंको द्वारा पात्र व्यक्तियों को वित्त पोषण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत किसी विशेष उत्पादक उद्यम को जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें अपने उद्यम प्रारम्भ करने हेतु बैंको के माध्यम से वित्त पोषण कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। बैंको से पुनः अनुरोध किया गया कि वे लम्बित दावे सम्बन्धित विभाग को तुरंत प्रेषित करें जिससे उनकी धनराशि प्राप्त हो सके। नोडल विभाग द्वारा इस मामले में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

"समाजवादी युवा रोजगार योजना"

उत्तर प्रदेश सरकार की यह भी एक अत्यंत महत्वाकान्क्षी योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा बेरोजगारों को उनके उद्यम लगाने हेतु एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्त पोषण एवं राज्यांश का प्रावधान रखा गया है। श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, एडिशनल डायरेक्टर, उद्योग निदेशालय, कानपुर जो इस योजना की नोडल एजेंसी भी है, के द्वारा इस योजना की विस्तृत चर्चा की गयी तथा उन्होंने योजनांतर्गत आवंटित जनपदवार लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंकर्स से अनुरोध भी किया।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

दुग्ध विकास हेतु प्रदेश की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार द्वारा भी की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों के वितरण में उचित व त्वरित कार्यवाही नही की जा रही है। इस हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे स्वीकृत ऋणों की धनराशि का वितरण अवश्य कर दें तभी ही इस योजना की सार्थकता सिद्ध होगी। यह भी अनुरोध किया गया कि लम्बित व न होने वाले आवेदन पत्रों को एक बार में ही वापस किया जाये। कुक्कुट विकास परियोजना के अंतर्गत बैंकर्स द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस योजना की चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि कुक्कुट के बीमा से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ सामने आ रही है जिनका समाधान शीघ्र आवश्यक है।

BANK OF BARODA

कार्यसूची संख्या – 15
(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र –

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट – सब्सिडी योजना –

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या – 16
(शैक्षिक ऋण)

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत प्रदेशवार लक्ष्यों की सूचना समस्त बैंको को प्रेषित की गयी है। साथ ही योजनांतर्गत त्रैमासांत मार्च 2016 तक की प्रगति से भी सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 17
(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाऐं)

समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न बैंको में घटी कुछ घटनाओं पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान कुल -7- घटनाएँ घटी जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ शाखाओं में लगे ए.टी.एम. को तोडकर नकदी निकालने का प्रयास किया गया। कुछ शाखाओं में शाखा परिसर की दीवार व ग्रिल को काट कर कैश सेफ खोलने का असफल प्रयास किया गया व सफल न होने पर जाते समय टी.एफ.टी. मानिटर व स्कैनर आदि चुरा कर लेते गये। इन सभी वारदातों की प्राथमिक सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी गयी है।

सम्बन्धित विभाग से सुरक्षा के विभिन्न मानदण्डों पर भी चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या – 18
(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

"प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम"

सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा की गयी जिसका अखिल – भारतीय शुभारम्भ दिनांक 17.06.2015 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। सदन में इस योजना की रूपरेखा व अन्य मानदण्डों पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय आवास परिषद (NHB) के प्रतिनिधि ने सदन को इस योजना के विभिन्न पहलूओं से अवगत कराया।

इसी क्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक ने, जल संरक्षण की महत्ता का उल्लेख करते हुए नाबार्ड द्वारा इस मिशन हेतु किये जा रहे प्रयासों की चर्चा की।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति क्षेत्रीय कार्यालय ZONAL OFFICE (U.P.) LKO

स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 10.06.2016 कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land by the State Govt. to the Banks and setting up of R-SETIs in -3- remaining Districts of the State.	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -72- Districts so far. In -2- Districts viz. Ghaziabad and Agra, RUDSETIs are already functional. The allotment of land in District Sultanpur is yet to be finalized. However, in some of the districts where the land was identified/ allotted earlier, certain issues have cropped up subsequently due to which the physical possession, execution of MoU, lease deed and inturn construction of the building etc. could not commence. The district wise issues are being discussed on quarterly basis in the Sub- Committee Meetings under the Convenorship of Punjab National Bank. The detailed position also stands communicated to the Nodal Agency- UPSRLM for their necessary action & resolution of the issues concerned. Further, as per guidelines issued by MoRD, Govt. of India, it is informed that no funds will be released to any RSETI if the construction does not start on or before 30.06.2016. In view of the above mentioned facts, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made to be eligible for receipt of funds/grant from GoI after allotment of land by the State Govt. -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts viz. Punjab National Bank (Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur). It is informed by PNB & Syndicate Banks that necessary approval in this regard is yet to be received from MoRD, GoI, in spite of the regular followup.	As discussed during the Meetings, the State Govt. is requested to speed up the process for clearance of land allotment in all the Districts where certain issues are reported by the concerned banks and which require the State Govt. intervention. In view of the new guidelines issued by MoRD, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made for receipt of grant from GoI. All the Lead Banks are also requested to ensure that necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that RSETIs may start functioning in their own buildings. Both the Lead Banks i.e. PNB & Syndicate Bank are once again requested to follow up the matter with MoRD, GoI for setting up of RSETIs in their selected left out Districts. The State Govt. intervention with MoRD in this regard is also requested to yield the desired results at the earliest. (Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & all Lead Banks)
2.	Exemption of Stamp Duty on Documentation for SHG functioning in the State	During the SLBC Meeting held on 16.12.2013, NABARD had suggested for exemption of Stamp Duty on SHGs documentation so as to promote the SHG – Bank linkage programme. The issue has been reiterate by NABARD, RO, Lucknow during 2014 onwards with the State Govt. on the pattern of various other States. It is worth mentioning that looking to the huge Annual Targets under SHG Bank Linkage Programme in the State, the issue is being reiterated with the State Govt. for their favourable consideration. MD, UPSRLM & SLBC (UP) have also taken up this issue with the State Govt. on several forums. During the course of Meetings, DIF has informed that this issue is in advanced stage of consideration of the State Govt.	The State Govt. is again requested to favourably consider resolution of this issue at the earliest on the lines suggested. (Action: State Govt.)

3.	Identification of a dedicated Nodal Officer by the Banks to ensure Timely submission of consistant and accurate data viz LBS MIS I, II & III and other periodical statements	As per Lead Bank Scheme, the RBI has issued guidelines for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III. However, it is observed that the periodical data is not submitted by the Banks to SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in consolidation and submission of the desired information to RBI & other agencies. Although, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for their necessary action and stabilization of the data submission, still however, the desired outcome is not visible and the same has been viewed seriously by RBI and other authorites. As such a necessity is felt for identification of a suitable dedicated officer in all Banks to look after this task and ensuring the timely flow of the periodical data/ information.	Owing to the importance of this issue, the Banks are once again requested to ensure timely submission of accurate & consistant data to SLBC for their consolidation and further submission of the same at appropriate level within the prescribed time schedule. (Action: All Banks)
4.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	Under the PMJDY, the Banks in the State opened large number Bank Accounts which have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of these cards and inturn their activation could not happen for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. However, the desired results are not forthcoming. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Govt. has initiative various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Corresponents etc. The Banks have taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results.	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. (Action: All Banks)

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 10.06.2016

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details: Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Managing Director & Chief Executive Officer	Shri P S Jayakumar		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Prabhat Agarwal	0522-6677607	zm.upu@bankofbaroda.com
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajai Kumar		
4				Dy. General Manager	Shri Sudip Malik	9005237771	sudipmalik@rbi.org.in
5				Manager	Shri Alok Ranjan	7081000188	alokranjan@rbi.org.in
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri A K Panda		
7				General Manager	Shri A K Singh	9819418150	lucknow@nabard.org
8	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sengupta		cgm.lholuc@sbi.co.in
9				General Manager	Shri Ranjan Kumar Mishra	8874498555	
10				Dy. General Manager	Shri Sanjay Mishra	7570082111	dgmabu1.lholuc@sbi.co.in
11				Asstt. General Manager	Shri S L Srivastava	9984867555	agmlb.lholuc@sbi.co.in
12	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Arvind Kr. Dixit	8874320331	fgm.allahabadbank.in
13				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	fgmo.luc@allahabadbank.in
14	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri L D Rewatkar	9721777711	
15				Field. General Manager	Shri Lal Singh	9920123101	fgm.varanasi@unionbankofindia.co.in
16				Senior Manager	Shri Motilal	9918702102	
17	Syndicate Bank	Field General Manager	No	Dy. Gen. Manager	Shri Muthu J.	9532033011	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
18				Asstt. General Manager	Shri R Chandrasekaran	8005493994	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
19				Manager	Shri Harsh Vardhan Trivedi	9415550978	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
20	Bank of India	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri Sulakhan Singh	9780432277	nb.north2@bankofindia.co.in
21	Central Bank of India	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zmluckzo@centralbank.co.in
22				Chief Manager	Shri Anil Kumar	9918002151	rdluckzo@centralbank.co.in
23	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Someshwar Seth	8173000300	someshwar@pnb.co.in
24				Chief Manager	Shri Ashwani Kumar Singh	8004920953	aksingh@pnb.co.in
25	Canara Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri S K Saxena	8756993600	saxena-sk@canarabank.com
26				Manager	Shri Kirit Nagar	8948262477	afpscoluck@canarabank.com
27	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Sanjay Lade	7233002101	zolucknow@indianbank.co.in
28	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Suresh Buntolia	9721459111	sbuntolia@denabank.co.in
29				Manager	Shri Shiv Sagar Chaurasia	9721459202	rdd.lucknow@denabank.co.in
30	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Ganga Sagar Kharwar	9918727606	zo.lucknow@psb.co.in
31				Senior Manager	Shri A K Saxena	7380444653	
32	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Nagaraja Udupa	9984756222	udupa-nagaraja@corpbank.co.in
33	Andhra Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri V S S Rao	8985294979	vssrao@andhrabank.co.in
34				Senior Manager	Ms. Aradhana Jyoti	7839218770	zoluck@andhrabank.co.in
35	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	No	Senior Regional Manager	Shri S K Sinha	9839010168	iob0814@iob.in
36				Senior Manager	Shri Samir Tiwari	9450365872	adv@iobnet.co.in
37	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	Yes	Dy. General Manager	Shri S Bhattacharjee	8853099001	rh_lko@obc.co.in
38	United Bank of India	Chief Regional Manager	No	Chief Manager	Shri Krishna Lal Singh	7054671817	devcentral@unitedbank.co.in
39	UCO Bank	Zonal Head	Yes	Gen. Manager & Circle Head	Ms. Kalpana	7054845888	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
40				Asstt. General Manager	Shri R M Jodawat	9500196655	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
41	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Dy. General Manager	Shri N C Roy	9935057850	rorm@vijayabank.co.in
42	Bank of Maharashtra	State Head	No	Chief Manager	Shri R K Porwal	9041539430	dzmlucknow@mahabank.co.in
43	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri S R Sharma	8130799525	agm2del@sbbj.co.in
44				Dy. Manager	Shri Diwakar N Dubey	7388888339	
45	State Bank of Hyderabad, Lucknow	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Binod Kumar	9966390539	(lucknow)@sbhyd.lucknow.co.in
46	State Bank of Patiala	Dy. General Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri P K Roy	9695686699	dgmlko@sbp.co.in

47	State Bank of Mysore	Dy. General Manager	No	No Participation			
48	State Bank of Travancore, Lucknow	State Head	No	Manager	Shri R P Ambedker	9310723808	lucknow@sbt.co.in
49	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Mahendra Kumar	9559882999	gm@barodaup.rrb.co.in
50	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Ashok Sarkar	7081245555	gm.acctt.augb@gmail.com
51	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	No	General Manager	Shri G K Srivastava	7388954557	gm1-rrb@aryavart-rrb.com
52				Senior Manager	Shri R P Verma	7388899033	ho.fi@gba-rrb.co.in
53	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	kgsg@kgsgbank.co.in
54	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	msarora@prathmabank.org
55	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	7571810001	chairmanpgb@gmail.com
56	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Anil Kumar Sharma	8130167878	anils2pnb.co.in
57	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	No Participation			
58	Axis Bank	Circle Head	No	AVP/BP	Shri Ashish Sinha	8874204071	hewettroad.branchhead@axisbank.com
59				Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
60	Bhartiya Mahila Bank	State Head	No	No Participation			
61	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Chief Manager	Shri Basant Kumar	9792330000	basant.kumar@hdfcbank.com
62	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asstt. Vice President	Shri Amar Singh	7055101599	mahanagar@nainitalbank.co.in
63	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Pallav Kumar Sinha	0522-4938461	pallav.sinha@idbi.co.in
64				Regional Coordinator	Shri Vaibhav Mishra	9415563950	vaibhav.mishra@idbi.co.in
65	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	AVP/BP	Shri Shobhit K Chaudhary	8003698868	shobhit.chaudhary@icicibank.com
66				SLBC Coordinator	Ms. Kanchan Srivastava	8853989342	kanchan.srivastava@icicibank.com
67	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri S K Saurabh	9839222575	lucknow@ktkbank.com
68	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	No Participation			
69	Federal Bank	State Head	Yes	No Participation			
70	Kotak Mahindra Bank	State Head	No	AVP/Branch Head	Shri Kashif Khan	9838078384	kasifsjamal.khan@kotak.co.in
71	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	No Participation			
72	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	Yes	Agriculture Production Commissioner	Shri Praveer Kumar, IAS		
73	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	No Participation			
74	Revenue Deptt., GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	No Participation			
75	Deptt. of Handlooms & Textiles and MSME, GoUP	Principal Secretary, GoUP	no	Joint Director	Shri Anand Mohan	9415211231	dhtup@rediffmail.com
76				Asstt. Commissioner	Shri Manoj Kant Garg	9450726882	
77	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	Project Director	Shri I P Kanojia	8573002205	ipksuda@gmail.com
78	SSI & Export Promotion	Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Akhilesh Kumar, IAS	9415214239	
79	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	OSD	Shri B D Verma	9935164141	b.d.verma@gmail.com
80	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Addl. Commissioner	Shri Vinay Kumar	9450137988	dikanpur@gmail.com
81				Asstt. Director	Shri Jagadish Sahu	9453127545	jsahumsme@gmail.com
82	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No	Dy. Commissioner	Ms. Pratibha Singh	9452494132	upregs@gmail.com
83				APO	Shri Dharmendra Tiwari	7785963215	upregs@gmail.com
84	UPSRLM	Mission Director	Yes	Joint Director	Shri A K Singh	9415755991	
85				State Project Manager	Shri Om Prakash Chaturvedi	8176880399	upsrlm.pmmf@gmail.com
86	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director General	Shri Shiv Singh Yadav	9415106200	director.dif@gmail.com
87				Addl. Director	Shri Rakesh Krishna		
88				Dy. Director	Dr. Suman Srivastava	0522-4026354	
89				PA, DIF (DG)	Shri Vinoy Kr. Sahni	9859071811	
90				ARO	Dr. Raghvendra	9415654000	
91	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	C.A	Shri R K Mishra	9450794151	
92	Directorate of Agriculture	Director	Yes	Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristatup@gmail.com
93				JDA (Stat)	Shri Rajesh Kumar Gupta	9235629324	jdastatdas@gmail.com
94	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	State Director	Shri R S Pandey	9454364925	kvic.lko2011@gmail.com
95				Dy. Director	Shri V P Gupta	9415059359	
96				Superintendent	Shri Subodh Kumar	9415463217	

97	National Horticulture Board	Director	No	No Participation			
98	National Commission for SCs, GoI	Director	No	No Participation			
99	UP Minotiry Finance Dev. Corpn.	Managing Director	No	AAUPMFDC	Shri Daya Ram Verma	9557612677	dr.verma.dlko@gmail.com
100	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	Yes	CEO	Shri Manmohan Chaudhary	7408410710	ceoupkvib@gmail.com
101				Dy. CEO	Shri H R Singh	7408410716	upkvibpmegp@gmail.com
102					Shri S P Jaiswal	9415572508	kvib.lko@gmail.com
103	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	No Participation			
104	Police Headquarter	Director General	No	S P (Crime)	Shri Rakesh Shankar	9454401146	rakesh.shankar2009@gmail.com
105	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	Yes	Dy. General Manager	Shri Vishal Goel	9717691285	vishalg@nhb.org.in
106	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director (IF&GR)	Shri Rajeev Dixit	9415023302	rdub@rediffmail.com
107				Director (Tax Advisory)	Shri B P Singh	7379460840	bpsinghub@gmail.com
108	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Project Co-ordinator	Shri M. Minhajuddin	9450390877	
109	LIC of India	Regional Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri H S Sachdeva	9411451641	hssachdeva@licofindia
110	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	Yes	Regional Manager	Shri Bir Pal Singh	9873176360	bpsingh@oriengalinsurance.co.in
111				Asstt. Manager	Shri Dinesh Khare	9198003264	dinesh.khare@orientalinsurance.co.in
112	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No	Manager	Shri Ashok Kumar Singh	7704900108	ashokk.singh@nic.co.in
113	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Anupam Das	9519252252	anupamd@aicofindia.com
114				Administrative Officer	Shri Ayush Singh	9807939108	ayush@aicofindia.com
115	India First Life Insurance Co	Zonal Head	Yes	Zonal Head	Anjan Pani	9375080160	anjankumar.pani@ubduafurstkufe.com
116	PCDF Ltd			No Participation			
	Special Invitee						
117	Transport Commissioner Office	Commissioner	Yes	No Participation			
118	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	No Participation			
119	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri Pradeep Kumar	9455939099	pradeepkumar@uidai.net.in
120	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Joint Director	Dr. J K Pandey	9451374055	drjkpandey@yahoo.co.in
121	EPFO			Asstt. PF Commissioner	Shri P B Bhattacharya	9919816528	pbbac1602@rediff.com
122	State Planning Commission		No	No Participation			
123	BSNL			No Participation			
124	Bank of Baroda			Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
125				Dy. Gen. Manager(LR)	Shri Pradeep Srivastava		
126				Asstt.Gen. Manager(SLBC)	Shri Rajeev Srivastava	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
127				Chief Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
128				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483	
129				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
130				Manager	Shri M N Srivastava	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com
131				Manager	Shri Raj Kumar Jaiswal	0522-6677694	fi.upu@bankofbaroda.com
132				Officer	Shri Ayush	0522-6677725	cfip.upu@bankofbaroda.com
133				SWO-A	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
134				SWO-A	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
135				SWO-A	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	

बैंक ऑफ बड़ौदा ★ BANK OF BARODA ★ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ★ ZONAL OFF. (E.U.P.) LKO. ★ अंचल कार्यालय (पूर्वी उ०प्र०) लखनऊ